## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 226 / 2024

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1 ओमप्रकाश पुत्र दुर्गाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील बायतु (वर्तमान तहसील बाटाडु) व जिला बाड़मेर। | | 1 तनसिंह 2 बख्तावरसिंह 3 हिन्दूसिंह पिसरान दौलतसिंह जाति राजपुत निवासी करनपुर, चौखला तहसील बायतु (वर्तमान तहसील बाटाडु) व जिला बाड़मेर 4 तहसीलदार बाटाडु। |

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.**

उपस्थिति :

1. श्री रिणछाराम सियाग, वकील प्रार्थी।

## आदेश

दिनांक 14/08/24

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा करनपुरा पटवार हल्का चौखला तहसील बाटाडु व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 662 / 176 रकवा 0.3236 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। उक्त खेत प्रार्थी द्वारा मूल खातेदार तनसिंह पुत्र दौलतसिंह जाति राजपूत द्वारा जरिये पंजीवद्ध बेचान दिनांक 04.06.2021 को खरीद किया था तथा मौके पर कब्जा काश्त करवा दिया गया था। उक्त वादग्रस्त आराजी का लट्‌ठा ट्रेस में तरमीम करते समय वास्तविक रकवा यथा 0.3236 हैक्टेयर के अनुसार नहीं की जाकर उसके स्थान पर रकवा 0.1059 हैक्टेयर की ही तरमीम की गई है, जो कि गलत अंकन है। प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि की लट्‌ठा ट्रेस में तरमीम की गई है जो तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नहीं की गई तथा लट्‌ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर प्रार्थी के मौजूद कब्जा में भारी अंतर है जबकि प्रार्थी का मौके पर कब्जा परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। उक्त गलत तरमीम होने से मौके पर तनाव की स्थिति है। मौजा करनपुरा पटवार हल्का चौखला तहसील बाटाडु व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 662 / 176 रकबा 0. 3236 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीनी की वर्तमान राजस्व नक्शा में तरमीम परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार है। परन्तु लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम मौके के अनुसार नहीं कर राजस्व अधिकारियों ने बिना जांच किये तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त अनुसार न कर गलत तरमीम अंकित की दी गई प्रार्थी मौके पर संलग्न परिशिष्ठ "अ" में के अनुसार कब्जा काश्त है तथा परिशिष्ठ "अ" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार [illegible] प्रार्थीनी की खातेदारी का खेत मौजा करनपुरा पटवार [illegible] व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 662 / 176 रकबा 0.3236 [illegible] की तरमीम मौके [illegible]जा काश्त अनुसार परिशिष्ठ "अ" के अनुसार दुरूस्त [illegible]ाने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:19:11 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थिति। अतः एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तहसीलदार बाटाडु से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

तहसीलदार बाटाडु ने अपने पत्रांक 161 दिनांक 12.02.2024 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि पटवार हल्का चौखला के ग्राम करनपुरा के मूल खसरा संख्या 176 के विभाजित खसरा संख्या 662/176 की तरमीम परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार है जबकि मौके पर कब्जा संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार होने से संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है तथा प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती हेतु समस्त खातेदारों द्वारा सहमति प्रकट की गई है। अतः मौजा करनपुरा पटवार हल्का चौखला तहसील बाटाडु व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 662/176 रकबा 0.3236 हैक्टेयर भूमि की संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशषा की है।

वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2076–2079, नक्शों, बेचान पत्र, का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाटाडु ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौका पर कब्जा के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "ब" के अनुसार है तथा प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती हेतु समस्त खातेदारों द्वारा सहमति प्रकट की गई है। अतः मौजा करनपुरा पटवार हल्का चौखला तहसील बाटाडु व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 662/176 रकबा 0.3236 हैक्टेयर भूमि की संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। लिहाजा मौजा करनपुरा पटवार हल्का चौखला तहसील बाटाडु व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 662/176 रकबा 0.3236 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान लठ्ठा ट्रेस तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तहसीलदार बाटाडु द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ठ "ब" के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा करनपुरा पटवार हल्का चौखला तहसील बाटाडु व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 662/176 रकबा 0.3236 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार बाटाडु द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाटाडु तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाटाड द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ "ब" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:19:11 IST
Reason: SelfAttested

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 14/08/24 को सरें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर